न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 59/2025

राजस्थान सरकार जरिये मुकेश बुगालिया, प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

श्री राजकुमार सैनी पुत्र श्री बिनजा राम सैनी
मैसर्स अतिथि रेस्टोरेन्ट एण्ड स्वीट्स
किशनगढ मकराना मैगा हाईवे, सुरसुरा, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री मुकेश बुगालिया, प्रवर्तन निरीक्षक – पैरोकार सरकार

श्री बी.एस.शेखावत अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 12.11.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2025 को विभागीय निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरूपयोग एवं गैस रिफलिंग रोकथाम अभियान के तहत जांच दल श्री राज कुमार सैनी पुत्र श्री विनजा राम सैनी मैसर्स अतिथि रेस्टोरेन्ट एण्ड स्वीट्स किशनगढ मकराना मैगा हाईवे, सुरसुरा अजमेर पहूँचे। जांच दल में मीना डेचरवाल प्रवर्तन अधिकारी, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक, मौके पर 02 घरेलु एलपीजी सिलेण्डर का व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी की अवलहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर एचपी गैस एजेन्सी का कार्मिक श्री रवि प्रकाश मोर्य, रूपनगढ को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	190764 एस	HPCL	15.7	26.600	10.9
2	652397	HPCL	15.7	27.800	12.1

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 02 घरेलू सिलेण्डर मय 22.10 किलोग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 10.03.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 7.6 किलोग्राम एलपीजी पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 22.10 किग्रा एलपीजी को राजसात फरमावें।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया की मेरे रस्टोरेन्ट से सिलेण्डर बरामद किये गये वह दूकान में स्टोर में गली में रखे गये थे यह गलती है, भविष्य में पुनरावृत्ति नही होगी। प्रकरण का निर्णय दाखिल फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 10.03.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, मय 22.10 किग्रा एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर